सत्यमेव जयते

# राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

## मंत्रिमण्डल की आज्ञा
132/2020

दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में भू-जल विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प.12(6)भूजल/2009 पार्ट दिनांक 02.12.2020 पर विचार-विमर्श कर राज्य में भू-जल दोहन संबंधी नवीन व्यवस्था/दिशा निर्देश संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

शासन सचिव
भू-जल विभाग।

डी. 132/मं.मं./2020
जयपुर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020

(340)

राजस्थान सरकार
भू-जल विभाग

प्रति संख्या

क्रमांक:-प 12(6)भूजल/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक: 02.12.2020
07

मंत्रिमण्डल ज्ञापन

विषय:-राज्य मे भू-जल दोहन संबंधी नवीन व्यवस्था/दिशा निर्देश

1. राज्य में भू-जल संसाधन का आकलन सर्वे, दोहन की मोनेटरिंग एंव प्रबन्धन हेतु वर्ष 1956 मे भूजल विभाग का गठन किया गया। भू-जल विभाग द्वारा भूजल की उपलब्धता हेतु दी गई अभिशंषा अनुसार PHED विभाग द्वारा पेयजल योजनायें बनाई जाती हैं।

2. राज्य मे भूजल दोहन मुख्यत: कृषि उपयोग हेतु किया जा रहा है जो कुल दोहन का लगभग 85 प्रतिशत है। राज्य मे भूजल दोहन आकँलन भारत सरकार की (Ground water estimation committee 2015) Guideline के अनुसार किया जाता है। नवीनतम भूजल आकलन रिपोर्ट दिनांक 31.03.2020 के अनुसार राज्य मे 185 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी मै, 33 ब्लॉक विषम, 29 ब्लॉक अर्धविषम व शेष 45 ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर 14 जनवरी 1997 की अधिसूचना सं.का.आ. 38 (अ) के माध्यम से किया गया।

4. राज्य में भूजल निष्कासन हेतु स्वयं का अधिनियम/अथोरिटी रेगुलेटरी सिस्टम नही है अत: भारत सरकार के केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य में भूजल दोहन की स्वीकृतियां सक्षम स्तर से जारी की जाती रही हैं। अभी तक केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशा-निर्देश (16.11.2015) के अनुसार सक्षम स्तर से एनओसी जारी की जाती रही हैं।

5. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा केन्द्रिय भूजल प्राधिकरण को पूर्व मे जारी दिशा-निर्देशो की समीक्षा कर पुन: जारी करने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में समीक्षा उपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के द्वारा प्रदत्त निर्देशो की पालना करते हुये जल शक्ति मत्रांलय द्वारा दिनांक 24.09.2020 (परिशिष्ठ 'अ') को राजपत्र में प्रकाशित कर नवीन दिशा-निर्देश लागू किये गये हैं। केन्द्रिय भूजल अथोरिटी द्वारा भूजल दोहन संबंधी नवीनतम दिशा निर्देश जारी किये गये। इस क्रम मे राज्य मे भी भूजल विभाग द्वारा 12.11.2020 (परिशिष्ठ 'ब') को कार्यालय आदेश जारी कर केन्द्रिय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशो के दिशा अनुरूप सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं।

6. नवीनतम Guideline अनुसार निम्न श्रेणियो में भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने की पूर्णत: छूट दी गई है, जिससे आमजन तथा कृषक वर्ग को बड़ी राहत मिली हैं।

एनओसी प्राप्त करने से पूर्णरूपेण निम्न श्रेणी को मुक्त किया गया हैं:-

1. पेयजल व घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता।
2. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमें।
3. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल।
4. कृषि कार्यकलाप।
5. 10 सी यू एम/ दिन से कम भूजल का आहरण करने वाले माइक्रो और स्माल उद्योग (MSME)

7. नवीन मार्गदर्शिका में घरेलू व्यक्तिगत उपभोक्ता/कृषकों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एनओसी प्राप्त करने से पूर्णतया छुट मिल गई हैं। अब किसान स्वयं की कृषि भूमि पर कृषि हेतु भू-जल का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पायेगा तथा विद्युत विभाग से कृषि जोत के लिय कनेक्शन लिये जाने मे आसानी होगी इसका सीधा लाभ राज्य के कृषि क्षेत्र को होगा।

न/शहरी क्षेत्रो में निवास करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप निर्माण से पूर्व भू-जल
प्रयोग हेतु NOC प्राप्त करना अनिवार्य था, जिसे इस नवीनतम Guideline में मुक्त कर दिया गया हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी/पचांयती राज इत्यादि द्वारा पेयजल योजना बनाने एवं कियान्वित करने मे सुविधा होगी अब
ग्रामीण पेयजल योजनाओ के लिये भूजल दोहन हेतु एनओसी की आवश्यकता नही हैं।

10. 10 CUM प्रतिदिन से कम भूजल का आहरण करने वाले माइक्रों एवं स्माल वर्ग के उद्यमियों को भी एनओसी प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त किया गया है, इससे राज्य मे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

11. उपरोक्त नवीन निर्देशो के सुगमता से संचालन करने हेतु तथा आमजन/कृषको को नवीन नीतियों से तहत राहत मिले यह सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी जिला कलक्टर तथा संबंधित विभाग के सचिवों से अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से आग्रह किया जा रहा हैं। नवीन दिशा-निर्देशो के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निदेशक, जन सम्पर्क को भी अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जा रहा हैं।

12. राज्य में भूजल स्तर मे आ रही गिरावट को रोकने तथा वर्षा के जल को अधिकतम भूमि में संचय को सुनिश्चित करने की दिशा में अटल भूजल योजना 01.04.2020 में लागू की गई है, जिसमें 17 जिलों के 38 ब्लॉक जहॉं भू-जल की दृष्टि से स्थिति बेहद चिंताजनक है, उनमें भू-जल स्थिति में सुधार के लिये सार्थक प्रयास किये जायेगें।

13. ज्ञापन में वित्तीय संबंधी मामला निहित नही होने से वित्त विभाग के परामर्श/अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

14. यह नवीनतम Guideline का विधि विभाग से परीक्षण आवश्यक नहीं है क्योकि कोई विधिक बिन्दु निहित नही हैं। जिन राज्यों में स्वयं के भू-जल नियमन/कानून नहीं है उन राज्यों में यह Guideline स्वतः लागू होगी।

15. मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु माननीय मंत्री महोदय, जन स्वा० अभि० एवं भूजल विभाग से अनुमोदन करा लिया हैं।

16. आज्ञापक क्रियान्वय की सूची (परिशिष्ठ 'स') पर उपलब्ध हैं।

17. मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव
जन स्वा० अभि० एवं भू-जल विभाग